संख्या-4/2015/502/38-3-2015-72(अधि0)/2012

प्रेषक,

राम बहादुर,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 13 मार्च, 2015

विषय:-वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों तथा उ0प्र0 सरकारी विभाग लिपिकीय नियमावली, 2014 के संदर्भ में संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के ढांचा पुनर्गठन

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी0ओ0-437/स्था0-2/सं0वि0आ0-01/2014, दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-401/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011 तथा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2105/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के अधीन प्रदेश के संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालयों में उपलब्ध पदों का ढांचा पुनर्गठन मण्डलवार निम्नवत् किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

मण्डल	प्रशासनिक अधिकारी	प्रधान सहायक	वरिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक
सहारनपुर	1	1	1	3
मुरादाबाद	0	1(वर्तमान पदधारक रहने तक प्रशासनिक अधिकारी	1	1
लखनऊ	1	1	1	3
मेरठ	1	1	1	3
आगरा	1	1	1	3
बरेली	1	1	2	3
फैजाबाद	1	1	2	4
वाराणसी	1	1	2	4
कानपुर	0	0	0	1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मण्डल	प्रशासनिक अधिकारी	प्रधान सहायक	वरिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक
इलाहाबाद	1	1	1	3
आजमगढ़	0	0	0	1
गोरखपुर	1	1	2	4
झांसी	1	1	1	2
योग	**10**	**11**	**15**	**35**

2- उपरोक्तानुसार ढांचा पुनर्गठन के फलस्वरूप वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार इन पदों पर भर्ती/पदोन्नति की प्रक्रिया एवं वेतनमान निम्नवत् होगा:-

क्र0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	भर्ती/पदोन्नति की प्रक्रिया
1	कनिष्ठ सहायक	5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2000	35	80 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता-इंटरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमश: 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी से ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।
2	वरिष्ठ सहायक	5200-20200 ग्रेड वेतन-2800	15	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
3	प्रधान सहायक	9300-38400 ग्रेड वेतन-4200	11	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।
4	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800 ग्रेड वेतन-4600	10	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से।

3- उपरोक्तानुसार ढांचा पुनर्गठन के फलस्वरूप सहारनपुर, बरेली, फैजाबाद, वाराणसी एवं गोरखपुर मण्डल में वर्तमान पदधारकों के बने रहने तक उक्त पद दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से प्रधान सहायक पदनाम तथा वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 में रहेंगे। पदोन्नति अथवा अन्य किसी कारणवश उक्त पदधारकों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा पद रिक्त किये जाने पर सहारनपुर, बरेली, फैजाबाद, वाराणसी एवं गोरखपुर मण्डल में उक्त पद वरिष्ठ सहायक पदनाम से वेतन बैण्ड-1 में ग्रेड वेतन रू0 2800 में परिवर्तित हो जायेंगे।

4- मुरादाबाद मण्डल में वर्तमान पदधारक के बने रहने तक उक्त पद प्रशासनिक अधिकारी पदनाम से (दिनांक 18 मार्च, 2011 से ग्रेड वेतन रू0 4200 में तथा दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से ग्रेड वेतन रू0 4600 में) रहेगा। पदोन्नति तथा अन्य किसी कारणवश उक्त पदधारक द्वारा पद रिक्त किये जाने की स्थिति में मुरादाबाद मण्डल में उक्त पद प्रधान सहायक पदनाम से वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 में परिवर्तित हो जायेगा।

5- संयुक्त आयुक्त विकास कार्यालयों के समस्त मण्डलों में दिनांक 18 मार्च, 2011 से कनिष्ठ सहायक के पद वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/- में, वरिष्ठ सहायक के पद वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/- में एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- में तथा दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से वरिष्ठ सहायक के ऐसे पद जो पूर्व वेतनमान रू0 4500-7000 में थे को प्रधान सहायक पदनामित करते हुए वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- में तथा प्रशासनिक अधिकारी के पद वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- में उच्चीकृत किये जाते हैं।

6- उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2011, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 के क्रम में वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-2-239/दस-2015, दिनांक 09 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम बहादुर)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4/2015/502(1)/38-3-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त संयुक्त विकास आयुकत, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

ttp://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।